You focus on exports. We cover the risks.

ईसीजीसी लिमिटेड , प्रधान कार्यालय, मुम्बई

सी आई एन : U74999MH1957GOI010918, आई आर डी ए पंजीकरण संख्या - 124

विषय :- निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रिया की समीक्षा और प्रमाणन के लिए कोटेशन

ईसीजीसी लिमिटेड , भारत सरकार के अधीन , एक ऋण बीमा कंपनी है. आई आर डी ए आई के विनियमों के अनुपालन के लिए , कम्पनी को , दिनांक 22 अगस्त 2008 को , आई आर डी ए आई परिपत्र सं INV/CIR/008/2008-09 के ज़रिये जारी निर्देशों के अनुसार निवेश प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रिया के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति करनी पड़ती है. कम्पनी का निवेश पोर्टफोलियो अनुमानित रु 11,500 है.

सम्बंधित लेखा परीक्षा के लिए कम्पनी द्वारा , आई आर डी ए आई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुकरण में निवेश प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से कोटेशन्स मंगाया जा रहा है.

चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा कोटेशन्स के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

1. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संसथान में पंजीकृत होना अनिवार्य है.

2. लेखा परीक्षा फर्म को बैंकों अथवा म्युचुअल फंडों अथवा बीमा कंपनियों की जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रिया की समीक्षा में चार वर्षों का अनुभव होना चाहिए अथवा उसे आई आर डी ए आई की और से बीमा कम्पनियों की निवेश समीक्षा का अनुभव प्राप्त हो.

3. निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रिया के प्रमाणन के लिए लेखा परिक्षक के रूप में नियुक्ति की तारीख को कुल मिला कर वह दो अथवा उससे अधिक आतंरिक लेखा परीक्षा, संविधिक एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा के लिए लेखा परिक्षक न हो .अतः लेखा परिक्षण फर्म के पास अधिकतम किसी एक निश्चित समय में संविधिक लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त (सभी मिला कर - निवेश जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रिया लेखा परीक्षा, आतंरिक लेखा परीक्षा एवं सांविधिक लेखा परीक्षा)- कुल तीन से अधिक लेखा परीक्षा शेष न हों. इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति के समय बीमाकर्ता को चार्टर्ड एकाउंटेंटस के फर्म से एक घोषणा प्राप्त करनी होगी. बीमाकर्ता द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति के 7 दिनों के भीतर आई आर डी ए आई के समक्ष चार्टर्ड एकाउंटेंटस के फर्म से प्राप्त पुष्टि को प्रस्तुत किया जाएगा.

4. लेखा परीक्षक को , आई आर डी ए आई, भा रि बैं , सेबी , आई सी ए आई आदि में से किसी विनियामक एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो .

5. सुनिश्चित किया जाए कि निवेश जोखिम प्रबंधक प्रणाली एवं प्रक्रिया के प्रमाणन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक को उसकी नियुक्ति के तत्काल पहले के दो वर्षों के लिए एक ही बीमाकर्ता द्वारा सिस्टम लेखा परिक्षक के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति के लिए निम्नलिखित कार्य सौंपे न गए हों
    - क. सांविधिक लेखा परीक्षा
    - ख. अन्य कोई लेखा परीक्षा
    - ग. अन्य कोई समवर्ती लेखा परीक्षा
    - घ. अन्य कोई परामर्श कार्य , चाहे वह लेखा परीक्षा कार्यों से सम्बंधित हो अथवा नहीं

ECGC
(A Government of India Enterprise)
You focus on exports. We cover the risks.

उक्त के अतिरिक्त , चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा किया जाना अनिवार्य है :-

क. फर्म द्वारा ईसीजीसी में कोई लाभ का स्थान धारित न हो.
ख. फर्म का ईसीजीसी के निवेश मध्यवर्तियों के साथ कोई सम्बन्ध न हो .
ग. फर्म का मुख्यालय मुंबई में स्थित हो .

6. कृपया नोट करें की आई सी ए आई दिशानिर्देश सं 1-CA(7)/03/2016 दिनांक 7 अप्रैल 2016 में उल्लिखित अनुसार उक्त कार्य के लिए न्यूनतम निर्धारित शुल्क रु 1,80,000/- (रु एक लाख अस्सी हजार मात्र) है.
7. इच्छुक चार्टर्ड एकाउंटेंटस फर्मों द्वारा अपने फर्म के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ निम्नलिखित पते पर कृपया अपने कोटेशन्स भेजा जाए :-

अर्पिता सेन
उप महाप्रबंधक (निवेश)
ईसीजीसी लिमिटेड
5 वीं मंजिल, निर्मल भवन
241/242, बैकबे रिक्लमेशन
नरीमन पॉइंट , मुंबई – 400021

उक्त मानदंडों को पूरा करने वाले फर्मों द्वारा इसके साथ उपलब्ध प्रारूप में ई ओ आई को दो अलग अलग सील बंद लिफाफों “ तकनिकी बिड “ एवं “ वित्तीय बिड “में प्रस्तुत किया जाए एवं **सुनिश्चित किया जाए कि वे उक्त पते पर कम्पनी को मंगलवार 31 दिसंबर 2019 को कार्यालय समय यथा 05.30 की समाप्ति तक प्राप्त हो जाएँ**. उक्त समय के उपरान्त प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

अर्पिता सेन
उपमहाप्रबंधक (निवेश)